सामान्यतः अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न

(FREQUENTLY ASKED QUESTION)

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त पी.जी. काउंसिलिंग नीट पी.जी. 2022–23

प्रश्न 1– क्या एन0एम0सी0 द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2021 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम अनुसार निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये फीस गाईड लाईन सत्र 2022–23 में लागू होगी ?

उत्तर – जी हॉ । राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की 85 प्रतिशत ओपन सीटों मे से 42.5 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के लिये निर्धारित शासकीय शैक्षणिक शुल्क (Government Fee) के आधार तथा शेष 42.5 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश AFRC/MPPURC द्वारा निर्धारित फीस के आधार पर किया जायेगा।

प्रश्न 2– राज्य के निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एन0 आर0 आई0 कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु पात्रता क्या होगी ?

उत्तर– अभ्यर्थी का नीट पी0जी0 2022 की चयन परीक्षा के लिए न्यूनतम 50th पर्सेन्टाईल होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 09 मार्च 2018 में प्रदर्शित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 2(ख) के अनुसार पात्रता रखता हो।

प्रश्न 3– क्या एन0आर0आई0 अभ्यर्थी एन0आर0आई0 कोटे की सीटों के अतिरिक्त शासकीय शैक्षणिक शुल्क (Government Fee) एवं AFRC/MPPURC Fee द्वारा निर्धारित शुल्क की अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर आवंटन की पात्रता रखता है ?

उत्तर– हॉ। एन0आर0आई0 अभ्यर्थी अपनी पात्रता/मेरिट के अनुसार ओपन श्रेणी की अनारक्षित सीटों (शासकीय शैक्षणिक शुल्क (Government Fee) एवं AFRC/MPPURC Fee पर भी आवंटन की पात्रता रखता है, परन्तु एन0आर0आई0 अभ्यर्थी को निजी चिकित्सा महाविद्यालय की विषय विशेष की एनआरआई सीट के लिये च्वाईस फिलिंग के समय AFRC/MPPURC Fee का चयन करना होगा।

प्रश्न 4— क्या एन0आर0आई0 कोटे की सीटों पर आरक्षण लागू है ?

उत्तर— नहीं।

प्रश्न 5— क्या एन0आर0आई0 अभ्यर्थी को एन0आर0आई0 कोटे की सीटों हेतु पृथक से पंजीयन कराना होगा?

उत्तर— एन0आर0आई0 अभ्यर्थी को एन0आर0आई0 कोटे की सीटों हेतु एक ही पंजीयन कराना होगा।

प्रश्न—6 क्या एन0आर0आई0 अभ्यर्थी यदि मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी (Domicile) है अथवा उसने एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 मध्यप्रदेश के किसी एम0सी0आई0 / डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा / दंत चिकित्सा से की है तो क्या उसे स्थानीय निवासी का लाभ मिलेगा ?

उत्तर — हॉ। काउंसिलिंग के प्रथम चरण में केवल एम0पी0 डोमेसाईल एन0आर0आई0 अभ्यर्थी ही च्वाईस फिलिंग कर सकेगा। द्वितीय एवं आगामी चरणों में नॉन डोमेसाईल अभ्यर्थी भी च्वाईस फिलिंग कर सकेगा।

प्रश्न—7 क्या ओपन श्रेणी का अभ्यर्थी निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की विषय संबंधित शासकीय शैक्षणिक शुल्क (Government Fee) एवं AFRC/MPPURC Fee की उपलब्ध सीटों हेतु च्वाईस फिलिंग कर सकेगा।

उत्तर— हॉ। ओपन श्रेणी का अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग के समय अपनी Preference अनुसार (Government Fee) एवं AFRC/MPPURC Fee दोनों की उपलब्ध सीटों हेतु च्वाईस फिलिंग कर सकेगा।

प्रश्न—8 च्वाईस फिलिंग हेतु क्या कोई शुल्क देय होगा ?

उत्तर — प्रथम चरण की च्वाईस फिलिंग के लिए किसी भी तरह की शुल्क देय नहीं होगा।

(i) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर च्वाईस फिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को:—शासकीय चिकित्सा / दंत चिकित्सा अनारक्षित श्रेणी हेतु— रू. 25,000 / — (रू0 पच्चीस हजार) तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु रू. 12,500 / — (रू0 बारह हजार पांच सौ) का अग्रिम शुल्क जमा करना होगा।

(ii) निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा की च्वाईस फिलिंग हेतु रू0 2,00,000 / – (रू. दो लाख) देय होगा।

(iii) एन0आर0आई0 अभ्यर्थियों को रू0 10,00,000 / – (रू. दस लाख) जमा करना होगा।

(iv) मॉप अप चरण के लिए सभी अभ्यर्थियों को रू0 2,00,000 / –(रू0 दो लाख) एवं एन0आर0आई0 अभ्यर्थियों को रू0 10,00,000 / –(रू. दस लाख) जमा करना होगा।

शुल्क का समायोजन प्रवेश नियम के बिन्दु 12 (7) के अनुसार होगा। राशि का निर्धारण अभ्यर्थी की एलिजिबल केटेगरी (Eligible Category) के आधार पर होगा।

प्रश्न –9 मैं एन0आर0आई0 अभ्यर्थी हूँ एवं मुझे अनारक्षित श्रेणी की सीट आवंटित होती है परन्तु मेरे द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा जमा कराई गई रू0 10 लाख अग्रिम राशि में से कितनी राशि की कटोत्री की जायेगी ?

उत्तर– आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय एन0आर0आई0 अभ्यर्थी के रूप में पंजीयन कराया गया है अतः आपकी एलिजिबल केटेगरी (Eligible Category) NRI है इसलिये आपके द्वारा अनारक्षित सीट पर प्रवेश नहीं लिये जाने पर रू0 10 लाख की अग्रिम राशि राजसात होगी।

प्रश्न –10 क्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग से पूर्व होगी ?

उत्तर – रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रथम चरण से पूर्व एवं द्वितीय चरण के पश्चात्, मॉप अप चरण से पूर्व की जावेगी।

प्रश्न –11 मेरे द्वारा नीट पी0जी0 2022 में श्रैणी विकल्प अनारक्षित (UR) दिया गया है, मैं मध्यप्रदेश में ई0डब्लू0एस श्रेणी के लिए पात्र हुं मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर – यदि आप ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी की पात्रता रखते है तो काउंसिलिंग से पूर्व रजिस्ट्रेशन करते समय श्रेणी का विकल्प अनारक्षित (UR) न देते हुये ई0डब्ल्यू0एस0 का विकल्प चुनना होगा। आपके पास मध्य प्रदेश के प्राधिकृत

अधिकारी द्वारा जारी किया गया ई0डब्ल्यू0एस0 प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जिसे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड किया जाना होगा।

प्रश्न–12 प्रथम चरण की काउंसिलिंग में मुझे जो सीट आवंटित हुई है उस पर यदि मैं प्रवेश नहीं लेता हूॅ, तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहूॅगा या नहीं ?

उत्तर – प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर यदि प्रवेश नहीं लेते है, तो आगामी चरणों की कांउसिलिंग के लिये आप पात्र नहीं रहेगें।

प्रश्न 13– प्रथम चरण की काउंसिलिंग में मुझे कोई सीट आवंटित नहीं हुई है क्या मैं अगले चरणों की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहूंगा?

उत्तर – यदि प्रथम चरण की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, तो आप अगले चरणों की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहेंगे।

प्रश्न 14– प्रथम चरण की कांउसिलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है, एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तो क्या अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी अथवा नहीं?

उत्तर– द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं होने की स्थिति में प्रथम चरण की प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।

प्रश्न 15– प्रथम चरण की कांउसिलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है, एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तो क्या अपग्रेडेशन होने की स्थिति में मुझे अपग्रेडेड सीट/महाविद्यालय/श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ?

उत्तर– अपग्रेडेशन के विकल्प दिये जाने के अनुक्रम में द्वितीय चरण में अपग्रेड होने की स्थिति में आपको अपग्रेडेड सीट/महाविद्यालय/श्रेणी अनुसार नवीन आवंटित संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य है। ऑनलाईन अपग्रेडेशन प्रक्रिया के दौरान अपग्रेडेशन होने पर अभ्यर्थी की पूर्व प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाती है एवं दूसरे पात्र अभ्यर्थी को मेरिट के अनुसार आवंटित हो जाती है।

प्रश्न 16– यदि मैं प्रथम चरण की कांउसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूॅ, एवं उस सीट से त्याग पत्र देता हूॅ, तो क्या मैं आगामी चरणों की कांउसिलिंग के लिये पात्र रहूंगा।

उत्तर– किसी भी चरण से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देने की स्थिति में समस्त आगामी चरणों की कांउसिंलिंग के लिये अभ्यर्थी अपात्र होंगे। त्यागपत्र देने की स्थिति में अभ्यर्थी का पंजीयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

प्रश्न 17– यदि मैं प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूॅ परन्तु यदि मैं उस सीट से त्यागपत्र देता हूॅ, तो मुझे कितना शैक्षणिक शुल्क वापिस होगा।

उत्तर– समय सारणी में उल्लेखित द्वितीय चरण की निर्धारित काउंसिलिंग के प्रारंभ होने के दो दिवस पूर्व तक त्यागपत्र देने पर जमा की गई फीस में से 10 प्रतिशत फीस (अधिकतम दस हजार रूपये) काटकर शेष राशि वापस कर दी जायेगी। एनआरआई अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त समय सीमा में त्यागपत्र दिया जाता है तो रू0 25000/–कटौत्री किया जाकर शेष राशि वापस कर दी जायेगी।

प्रश्न–18 प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देने पर सीट लिविंग बॉण्ड कब लागू होगा ?

उत्तर– यदि आप प्रकाशित समय सारणी में उल्लेखित द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के प्रारंभ होने के दो दिवस पूर्व तक सीट छोड़ते हैं तो आप पर नियमानुसार सीट लीविंग बॉण्ड लागू नहीं होगा, परन्तु इस निर्धारित समय सीमा के उपरान्त सीट छोडतें है तो नियमानुसार सीट लीविंग बॉण्ड लागू होगा।

प्रश्न–19 द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की पात्रता क्या होगी ?

उत्तर– द्वितीय चरण में वह अभ्यर्थी भाग ले सकेगें जो काउंसिलिंग हेतु पंजीकृत हैं एवं प्रथम चरण की काउंसिलिंग में भाग नहीं लिया है अथवा जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु प्रथम चरण के प्रवेश के समय अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है।

प्रश्न–20 क्या द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु पुनः च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना होगा?

उत्तर– द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित अग्रिम शुल्क जमा करने के पश्चात च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रश्न–21 द्वितीय चरण/मॉप अप चरण में जमा किये गये अग्रिम शुल्क का समायोजन किस तरह से होगा।

उत्तर – द्वितीय चरण/मॉप अप चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर दी जायेगी। यदि द्वितीय चरण में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो काउंसिलिंग उपरान्त यह राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी, परन्तु अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चरण/मॉप अप चरण में कोई सीट आवंटित होती है एवं वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई अग्रिम शुल्क राजसात हो जायेगी।

प्रश्न –22. मैं प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी हूॅ एवं मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है ऐसी स्थिति में क्या मैं प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दे सकता हूॅ ।

उत्तर– द्वितीय चरण की काउंसिलिंग प्रारंभ होने से दो दिवस पूर्व तक बिना सीट लीविंग की बाध्यता के त्यागपत्र दे सकेगा उसके पश्चात् सीट लीविंग बॉण्ड की बाध्यता लागू होगी।

प्रश्न–23 मॉप अप चरण हेतु पात्रता क्या होगी?

उत्तर– ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्हें :–

(i) प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो।

(ii) नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी।

(iii) प्रथम/द्वितीय चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने मॉप अप चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया होगा।

प्रश्न–24 पात्र अभ्यर्थी को मॉप अप चरण में भाग लेने के लिये क्या करना होगा?

उत्तर– मॉप अप चरण हेतु च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग से पूर्व रू0 2.00 लाख (रू. दो लाख) एवं एन0आर0आई0 अभ्यर्थियों हेतु रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख) अग्रिम शुल्क के रूप में जमा करनी होगी, तभी वह च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग कर पायेंगे।

प्रश्न–25 मॉप अप चरण हेतु अग्रिम शुल्क रू0 2.00 लाख तथा रू0 10.00 लाख का समायोजन किस तरह से होगा?

उत्तर – सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर दी जायेगी। यदि मॉप अप राउण्ड में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो काउंसिलिंग समाप्ति उपरान्त यह राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी, परन्तु अभ्यर्थी जिन्हें मॉप अप चरण में कोई सीट आवंटित होती है एवं वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई अग्रिम शुल्क रू0 2.00 लाख एंव रू0 10.00 लाख राजसात हो जायेगी।

प्रश्न 26– मुझे प्रथम चरण में एन आर आई कोटे से प्रथम च्वाईस की सीट आवंटित हुई थी, मैने उस पर प्रवेश ले लिया है, अब मै द्वितीय चरण में दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूॅं, क्या यह संभव है?

उत्तर– इसके लिये प्रथम चरण द्वारा प्रवेश के समय अपग्रेडेशन का आप्शन देना आवश्यक है तथा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पुनः च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करना होगी।

प्रश्न 27– क्या पी0जी काउंसिलिंग 2021 हेतु मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी पात्र हैं?

उत्तर– द्वितीय चरण एवं उसके बाद के चरणों में मध्य प्रदेश के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सीट राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट कम च्वाईस के आधार पर आवंटित की जायेगी।

प्रश्न 28– मुझे काउंसिलिंग के चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में क्या करना होगा ?

उत्तर– यदि काउंसिलिंग के किसी चरण में आपको सीट आवंटित होती है तो आवंटन आदेश की प्रति के साथ अनुसूची–3/प्रारूप–1 में उल्लेखित प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज लेकर अभ्यर्थी को स्वयं आवंटित महाविद्यालय में जाकर प्रवेश की प्रक्रिया मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के बिन्दु कमांक 10 के अन्तर्गत समय सीमा में पूर्ण करना होगा। अभिलेखों के सत्यापन उपरान्त पात्र पाये जाने पर पूर्ण शैक्षणिक शुल्क ऑनलाईन जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

प्रश्न 29– क्या रजिस्ट्रेशन/च्वाईस फिलिंग के लिये मुझे महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा।

उत्तर– रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग ऑनलाईन प्रक्रिया है अभ्यर्थी यह दोनो प्रक्रियाएं किसी भी स्थान से इन्टरनेट के माध्यम से एम पी ऑनलाईन के पोर्टल पर कर सकेंगे। अभ्यर्थी को आवंटन आदेश प्राप्त होने के पश्चात् ही महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता है।

प्रश्न 30– च्वाईस फिलिंग में न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी च्वाईस भरना अनिवार्य है।

उत्तर – च्वाईस फिलिंग में न्यूनतम एक च्वाईस भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अधिकतम समस्त च्वाईस भर सकता है। च्वाईस फिलिंग के पश्चात अभ्यर्थी च्वाईस लॉक करना सुनिश्चित करें।

प्रश्न 31– क्या मैं बेहतर सीट (अपग्रेड) का विकल्प भर सकता हूँ।

उत्तर – प्रवेशित अभ्यर्थी प्रथम चरण में द्वितीय चरण हेतु अथवा द्वितीय चरण में मॉप चरण हेतु अपग्रेड का विकल्प निर्धारित समय सीमा में अपने केडिंडेट लॉगिंन (Candidate Login) से दे सकेंगे।

प्रश्न 32– मॉप अप राउण्ड के पश्चात् रिक्त सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जायेगा।

उत्तर – मॉप अप राउण्ड के पश्चात् रिक्त सीटों का आवंटन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न 33– Online RTGS/NEFT करने के लिए मुझे क्या करना होगा?

उत्तर – अभ्यर्थियों को अपने केडिंडेट लागईन के माध्यम से Online RTGS/NEFT भुगतान करने हेतु जितनी राशि का भुगतान एक समय में अभ्यर्थी द्वारा किया जा रहा है उतनी ही राशि का ही ऑनलाईन चालान जनरेट करना होगा। पूरी राशि का भुगतान एक ट्रांजेक्शन में न किये जाने कि स्थित में बची राशि का चालान पुनः जनरेट करना होगा। कुल राशि के भुगतान हेतु अभ्यर्थी Multiple Transaction कर सकता है।

उदाहरण–

*Payment Amount= 3000000, Challan needed to be generated is for Rs. 3000000

*If candidates want to pay Rs. 3000000 through 3 transactions. In this case candidate will have to generate challan equal to the amount he/she paying online through each transaction.

प्रश्न 34– काउंसिलिंग की प्रक्रिया/दिशा निर्देश के लिये मुझे किस वेबसाईट का इस्तेमाल करना होगा।

उत्तर– काउंसिलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया dme.mponline.gov.in पर संपन्न की जायेगी। इसके अतिरिक्त संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर काउंसिलिंग से संबंधित दिशा निर्देश प्रकाशित किये जायेगें। अभ्यर्थी एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल एंव संचालनालय की वेबसाईट के सतत् संपर्क में रहें।